न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 220 ए/2019

तारीख दायरा 14.12.2019

तारीख फैसला 28.3.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भंवरीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी रामकिशन जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

2– चन्दा पुत्री बंशीलाल पत्नी प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादनी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश करती है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी एवं अन्य की खातेदारी में खाता संख्या 44 पर खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.14 हेक्टर भूमि कुल किता 6 रकबा 4.10 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादनी का नाम भूरी पुत्री बंशीलाल दर्ज चला आ रहा है, जो कि वादनी का घर पर बोलता नाम है। इस प्रकार वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है। वादनी का वास्तविक नाम भंवरीबाई है तथा राजस्व रिकार्ड में भी भंवरीबाई ही दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम भूरी दर्ज कर दिया गया।

यह कि वादनी के पहचान के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में वादनी का नाम भंवरीबाई दर्ज है। जिससे वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी भंवरीबाई किया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम भूरी दर्ज होने से एवं पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में भंवरीबाई दर्ज होने से वादनी को कृषि ऋण लेने, कृषि पैदावार का प्रोग्राम लेने व अन्य कार्यि करने में व्यवधान पैदा होता है तथा वह स्वतंत्र रूप से अपने हिस्से की भूमि का उपयोग– उपभोग करने से वंचित है। उक्त कारण से वादनी ने प्रतिवादी नं0 1 के अधिकारियों व कर्मचारियों से उपरोक्त प्रकार से दुरूस्ती करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

14.06.2019 को निवेदन किया तो उन्होने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, जिस कारण से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी एवं अन्य की खातेदारी में खाता संख्या 44 पर खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.14 हेक्टर भूमि कुल किता 6 रकबा 4.10 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूरी के स्थान पर भंवरीबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि अन्य न्यायोचित सहायता वादियागण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कोटसुवां सम्वत 2071–2074
2– नकल छायाप्रति भामाशाह कार्ड
3– नकल छायाप्रति आधार कार्ड
4– नकल छायाप्रति पहचान पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। साक्ष्य में प्रतिवादी नं0 2 चन्दा पुत्री बंशीलाल जाति मेघवाल जो कि वादनी की बहिन है एवं सहखातेदार भी हे ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर भूरी एवं भंवरीबाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

प्रकरण में वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं वादनी अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन मनन किया गया। प्रकरण में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भूरी एवं भंवरीबाई एक ही महिला होना प्रतीत होता है। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी एवं अन्य की खातेदारी में खाता संख्या 44 पर खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.14 हेक्टर भूमि कुल किता 6 रकबा 4.10 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम भूरी के स्थान पर भंवरीबाई उर्फ भूरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.3.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भंवरीबाई पुत्री बंशीलाल पत्नी रामकिशन जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

2– चन्दा पुत्री बंशीलाल पत्नी प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादनी की ओर से -- श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 220 ए/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी एवं अन्य की खातेदारी में खाता संख्या 44 पर खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.14 हेक्टर भूमि कुल किता 6 रकबा 4.10 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम भूरी के स्थान पर भंवरीबाई उर्फ भूरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक २८.३.२३ को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी

दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)